सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
ज्येष्ठ 10, मंगलवार, शाके 1944-मई 31, 2022 Jyaistha 10, Tuesday , Saka 1944- May 31, 2022	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड(II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

वित्त विभाग

(नियम अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 07, 2021

विषय:- राजकीय संस्कृत महाविद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्षों और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशकों सहित अध्यापकों के वेतनमान का पुनरीक्षण।

एस.ओ.39 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, पुस्तकालयाध्यक्षों और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशकों सहित राजकीय संस्कृत महाविद्यालय अध्यापकों के लिए पुनरीक्षित वेतन (वि.अ.आ) और उनमें वेतन के नियतन को शासित करने वाले सिद्धांतों को विहित करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (i) इन नियमों का नाम राजस्थान सिविल सेवा (पुस्तकालयाध्यक्षों और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशकों सहित राजकीय संस्कृत महाविद्यालय अध्यापकों के लिए पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2021 है।

   (ii) ये 1 जनवरी, 2016 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

2. **पुस्तकालयाध्यक्षों और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशकों सहित राजकीय संस्कृत महाविद्यालय अध्यापकों के प्रवर्ग, जिन पर ये नियम लागू होंगे.**- ये नियम राजकीय संस्कृत महाविद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्षों और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशकों सहित अध्यापकों पर लागू होंगे।

3. **निर्वचन की शक्ति.**- यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो वह सरकार के वित्त विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस पर विनिश्चिय अंतिम होगा।

4. **परिभाषाएं.**- जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों में,-

   (i) "विद्यमान मूल वेतन" से विहित विद्यमान चालू वेतन बैण्ड और शैक्षणिक ग्रेड वेतन में आहरित वेतन अभिप्रेत है, किंतु इसमें किसी अन्य प्रकार का कोई वेतन जैसे विशेष वेतन आदि सम्मिलित नहीं है।

   (ii) "सरकारी सेवक के संबंध में विद्यमान चालू वेतन बैण्ड और शैक्षणिक ग्रेड वेतन" से 01.01.2016 से ठीक पूर्व उसके द्वारा धारित पद पर लागू चालू वेतन बैण्ड और शैक्षणिक ग्रेड वेतन अभिप्रेत है।

(iii) **"विद्यमान राजकीय संस्कृत महाविद्यालय अध्यापक"** से पुस्तकालयाध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक सहित कोई अध्यापक अभिप्रेत है जो 1 जनवरी 2016 को सेवा में है और चालू वेतन बैण्ड और शैक्षणिक ग्रेड वेतन में वेतन आहरित कर रहा है।

स्पष्टीकरण:- राजस्थान सिविल सेवा (पुस्तकालयाध्यक्षों और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशकों सहित राजकीय संस्कृत महाविद्यालय अध्यापकों के लिए पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2012 के अधीन चालू वेतन बैण्ड और शैक्षणिक ग्रेड वेतन में दिनांक 01.01.2016 को या उसके पश्चात् नियुक्त पुस्तकालयाध्यक्षों और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशकों सहित राजकीय संस्कृत महाविद्यालय अध्यापक, राजकीय संस्कृत महाविद्यालय के विद्यमान अध्यापक नहीं हैं। वे इन नियमों के भूतलक्षी प्रर्वतन के कारण राजस्थान सिविल सेवा (पुस्तकालयाध्यक्षों और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशकों सहित राजकीय संस्कृत महाविद्यालय अध्यापकों के लिए पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2021 के अधीन, अपने पदों पर लागू वेतन मैट्रिक्स के शैक्षणिक स्तर में वेतन आहरित करेंगे। पुस्तकालयाध्यक्षों और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशकों सहित ऐसे राजकीय संस्कृत महाविद्यालय अध्यापकों द्वारा 01.01.2016 को या उसके पश्चात् नियुक्ति की तारीख को, जो भी बाद में हो, धारित पदों के संबंध में उनका वेतन, सुसंगत सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार परिवीक्षाकाल की सफलतापूर्वक समाप्ति के पश्चात् ही, इन नियमों से संलग्न पद के वेतन मैट्रिक्स के शैक्षणिक स्तर में न्यूनतम (पहला सेल) पर नियत किया जायेगा।

(iv) पुस्तकालयाध्यक्षों और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशकों सहित राजकीय संस्कृत महाविद्यालय अध्यापकों के संबंध में **"विद्यमान वेतन संरचना"** से या तो अधिष्ठायी या स्थानापन्न हैसियत में, इन नियमों के प्रवर्तन से ठीक पूर्व की तारीख को पुस्तकालयाध्यक्षों और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशकों सहित राजकीय संस्कृत महाविद्यालय के विद्यमान अध्यापकों के द्वारा धारित पद पर लागू चालू वेतन बैण्ड और शैक्षणिक ग्रेड वेतन की वर्तमान प्रणाली अभिप्रेत है।

स्पष्टीकरण:- पुस्तकालयाध्यक्षों और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशकों सहित ऐसे राजकीय संस्कृत महाविद्यालय अध्यापकों के मामले में, जो भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति पर हैं या छुट्टी पर हैं या अन्यत्र सेवा में हैं या यदि वह किसी उच्चतर पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य नहीं कर रहा होता तो एक या अधिक निम्नतर पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा होता, विद्यमान 'चालू वेतन बैण्ड और शैक्षणिक ग्रेड वेतन' में ऐसा वेतनमान सम्मिलित हैं जो उस पद पर लागू होते जिन्हें वह, यदि उसकी प्रतिनियुक्ति भारत से बाहर नहीं हुई होती या वह छुट्टी पर नहीं होता या अन्यत्र सेवा में नहीं होता या किसी उच्चतर पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य नहीं कर रहा होता तो, धारण कर रहा होता।

(v) **"विद्यमान परिलब्धियां"** से जनवरी, 2016 के प्रथम दिन को (i) विद्यमान मूल वेतन और (ii) इंडेक्स एवरेज पर विद्यमान महंगाई भत्ते का योग, अर्थात् 125% की दर, अभिप्रेत है।

(vi) वेतन मैट्रिक्स में **"शैक्षणिक स्तर"** से अनुसूची-I में यथा उपदर्शित विद्यमान चालू वेतन बैण्ड और शैक्षणिक ग्रेड वेतन का तत्समान शैक्षणिक स्तर अभिप्रेत है।

(vii) **"वेतन मैट्रिक्स"** से तत्समान विद्यमान चालू वेतन बैण्ड और शैक्षणिक ग्रेड वेतन को यथा समनुदिष्ट ऊर्ध्व सेल में क्रमांकित शैक्षणिक स्तरों के साथ, अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट मैट्रिक्स, अभिप्रेत है।

(viii) पद के संबंध में **"पुनरीक्षित वेतन संरचना"** से अनुसूची-I में यथा उपदर्शित विद्यमान चालू वेतन बैण्ड और शैक्षणिक ग्रेड वेतन के तत्समान उसमें विनिर्दिष्ट वेतन मैट्रिक्स और शैक्षणिक स्तर अभिप्रेत है।

(ix) पुनरीक्षित वेतन संरचना में **"मूल वेतन""** से वेतन मैट्रिक्स में विहित शैक्षणिक स्तर में आहरित वेतन अभिप्रेत है, किंतु इसमें किसी अन्य प्रकार का वेतन जैसे विशेष वेतन आदि सम्मिलित नहीं हैं।

(x) "पुनरीक्षित परिलब्धियां" से पुनरीक्षित वेतन संरचना में, पुस्तकालयाध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक सहित राजकीय संस्कृत महाविद्यालय अध्यापकों के वेतन मैट्रिक्स के शैक्षणिक स्तर में वेतन अभिप्रेत है।

(xi) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूचियां अभिप्रेत है।

(xii) "नियमित सेवा" से अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित है ऐसी सेवा जो पुस्तकालयाध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक सहित किसी राजकीय संस्कृत महाविद्यालय अध्यापक द्वारा सुसंगत भर्ती नियमों में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार नियमित चयन के पश्चात् उस पद के लिए अपनी नियुक्ति पर दी गयी हो। तदर्थ आधार पर/अर्जेण्ट अस्थायी आधार पर की गयी सेवा की कालावधि की गणना नियमित सेवा के रूप में नहीं की जायेगी। दूसरे शब्दों में, सेवा की केवल उस कालावधि की गणना नियमित सेवा के लिए की जायेगी जिसकी गणना वरिष्ठता के लिए की जाती है।

(xiii) "विशेष भत्ता" से वह विशेष भत्ता अभिप्रेत है जो अनुसूची-I के स्तंभ संख्यांक 6 में यथा उपदर्शित वेतन मैट्रिक्स के शैक्षणिक स्तर के साथ आहरित किया जायेगा।

5. शैक्षणिक स्तर के पद.- इन नियमों के प्रारंभ से प्रत्येक पद के लिए वेतन मैट्रिक्स का शैक्षणिक स्तर अनुसूची-I के स्तंभ 5 में यथा उपदर्शितानुसार होगा।

6. पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन का आहरण.- इन नियमों में यथा उपबंधित के सिवाय, पुस्तकालयाध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक सहित राजकीय संस्कृत महाविद्यालय का कोई अध्यापक उस पद, जिसे वह 01.01.2016 को धारण कर रहा है या जिस पर उसे 01.01.2016 को या उसके पश्चात् नियुक्त किया गया है, पर लागू वेतन मैट्रिक्स के शैक्षणिक स्तर में वेतन आहरित करेगा।

7. विद्यमान वेतन संरचना के चयन का विकल्प.- अनुसूची-I में दिये गये वेतन मैट्रिक्स में पद का शैक्षणिक स्तर पुस्तकालयाध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक सहित प्रत्येक विद्यमान राजकीय संस्कृत महाविद्यालय अध्यापक पर लागू होगा परंतु पुस्तकालयाध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक सहित ऐसा कोई राजकीय संस्कृत महाविद्यालय अध्यापक उस तारीख तक, जिसको वह विद्यमान वेतन संरचना में अपनी आगामी या कोई पश्चात्वर्ती वेतन वृद्धि अर्जित न कर ले या जब तक वह अपना पद रिक्त न कर दे या उस समय वेतनमान में वेतन आहरित करना बंद न कर दे, विद्यमान वेतन संरचना में वेतन आहरित करते रहने का चयन कर सकेगा:

परन्तु यह और कि, ऐसे मामलों में जहां किसी सरकारी कर्मचारी को 1 जनवरी, 2016 और इन नियमों की अधिसूचना की तारीख के मध्य, पदोन्नति या उन्नयन या सीएएस के कारण किसी उच्चतर शैक्षणिक ग्रेड वेतन में रखा गया है वहां वह सरकारी कर्मचारी ऐसी पदोन्नति या उन्नयन या, यथास्थिति, सीएएस की तारीख से पुनरीक्षित वेतन संरचना में जाने का चयन कर सकेगा।

स्पष्टीकरण- उपर्युक्त विकल्प ऐसे किसी व्यक्ति को अनुज्ञेय नहीं होगा जो जनवरी, 2016 के प्रथम दिन को या उसके पश्चात् किसी पद पर, चाहे सरकारी सेवा में प्रथम बार या अन्य पद से स्थानांतरण द्वारा नियुक्त किया गया हो और उसे केवल वेतन मैट्रिक्स के शैक्षणिक स्तर में वेतन अनुज्ञात किया जायेगा।

8. विकल्प का प्रयोग.- (1) नियम 7 के अधीन विकल्प का प्रयोग इन नियमों से संलग्न प्ररूप में लिखित में किया जायेगा ताकि वह इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से तीन माह के भीतर-भीतर, इस नियम के उप-नियम (2) में उल्लिखित प्राधिकारी के पास पहुंच जाये, परन्तु जहां राजकीय संस्कृत महाविद्यालय अध्यापक/पुस्तकालयाध्यक्ष/शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक इन नियमों के जारी होने की तारीख को निलंबाधीन है या छुट्टी पर है या प्रशिक्षण पर है या भारत के भीतर अन्यत्र सेवा पर है तो उसके द्वारा पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन माह के भीतर विकल्प का प्रयोग किया जा सकेगा।

(2) पुस्तकालयाध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक सहित राजकीय संस्कृत महाविद्यालय के किसी अध्यापक द्वारा विकल्प की सूचना इन नियमों से संलग्न विहित प्ररूप में निम्नलिखित रीति से दी जायेगी:-

(क) यदि वह सहायक आचार्य/सह आचार्य/आचार्य है तो संबंधित महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को;

(ख) यदि वह प्रधानाचार्य है या राजस्थान संस्कृत शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) से संबंधित अधिकारी है किंतु संस्कृत शिक्षा के निदेशक/संयुक्त निदेशक आदि के रूप में कार्य कर रहा है तो संस्कृत शिक्षा निदेशालय के लेखाधिकारी को;

(ग) यदि वह इन नियमों के जारी होने की तारीख को राजकीय संस्कृत महाविद्यालय का कोई सेवानिवृत्त अध्यापक/ पुस्तकालयाध्यक्ष/शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक है किंतु 01.01.2016 को वह राजकीय संस्कृत महाविद्यालय का अध्यापक/ पुस्तकालयाध्यक्ष/शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक था तो उस राजकीय संस्कृत महाविद्यालय, जहां से वह सेवानिवृत्त हुआ था, के प्रधानाचार्य को या, यथास्थिति, संस्कृत शिक्षा निदेशालय के लेखाधिकारी को।

(3) (i) यदि विकल्प संबंधी सूचना उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर-भीतर प्राप्त न हुई हो तो यह समझा जायेगा कि पुस्तकालयाध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक सहित राजकीय संस्कृत महाविद्यालय के अध्यापक ने इन नियमों के अधीन 01.01.2016 से वेतन आहरित करने का चयन किया है।

(ii) जहां राजकीय संस्कृत महाविद्यालय अध्यापक/ पुस्तकालयाध्यक्ष/शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक की विहित कालावधि के भीतर विकल्प देने से पूर्व मृत्यु हो जाती है या इन नियमों के जारी होने से पूर्व मृत्यु हो गयी थी वहां यह समझा जायेगा कि उसने विद्यमान वेतन संरचना या इन नियमों के अधीन पुनरीक्षित वेतन संरचना, जो भी उसके लिए लाभप्रद हो, के लिए विकल्प दिया है और तदनुसार उसका वेतन नियत किया जायेगा।

(4) एक बार किये गये विकल्प का प्रयोग अंतिम होगा।

9. विद्यमान राजकीय संस्कृत महाविद्यालय अध्यापकों/पुस्तकालयाध्यक्षों/शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशकों का वेतन मैट्रिक्स में शैक्षणिक स्तर में प्रारंभिक वेतन का नियतन.- राजकीय संस्कृत महाविद्यालय के ऐसे अध्यापकों/पुस्तकालयाध्यक्षों/शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशकों, जो नियम 8 के अधीन चयन करते हैं या चयन किये हुए समझे जाते हैं, का वेतन 1 जनवरी 2016 को और से, पुनरीक्षित वेतन संरचना द्वारा शासित होगा, जब तक कि किसी मामले में राज्यपाल, विशेष आदेश द्वारा, अन्यथा निर्दिष्ट नहीं करें, उस स्थायी पद पर जिस तरह धारणाधिकार रखता है या जिस पर धारणाधिकार रखता यदि ऐसा धारणाधिकार निलंबित नहीं

किया गया होता, उसके अधिष्ठायी वेतन के संबंध में और उसके द्वारा धारित स्थानापन्न पद में उसके वेतन के संबंध में, निम्नलिखित रीति से पृथक रूप से नियत किया जायेगा, अर्थात्:-

(i) वेतन मैट्रिक्स में लागू शैक्षणिक स्तर में वेतन, ऐसा वेतन होगा जो विद्यमान मूल वेतन को 2.57 के गुणनखंड से गुणा करके, निकटतम रुपए तक पूर्णांकित करके प्राप्त किया जायेगा और इस प्रकार प्राप्त अंक को वेतन मैट्रिक्स में शैक्षणिक स्तर में स्थापित किया जायेगा और यदि ऐसा समरूप अंक वेतन मैट्रिक्स के लागू शैक्षणिक स्तर में किसी सैल के तत्समान है तो वही वेतन होगा, और यदि ऐसा कोई भी सैल लागू शैक्षणिक स्तर में उपलब्ध नहीं है तो वेतन मैट्रिक्स में उस लागू शैक्षणिक स्तर में वेतन, ठीक अगले उच्चतर सैल पर नियत किया जायेगा।

(ii) यदि न्यूनतम वेतन अथवा लागू शैक्षणिक स्तर में का प्रथम सैल उपर्युक्त उपखंड (i) के अनुसार प्राप्त रकम से अधिक हो तो वेतन न्यूनतम वेतन या उस लागू शैक्षणिक स्तर के प्रथम सैल पर नियत किया जायेगा।

10. वेतन मैट्रिक्स में वेतनवृद्धियां.- वेतन वृद्धि, वेतन मैट्रिक्स में लागू शैक्षणिक स्तर के ऊर्ध्व सेल में विनिर्दिष्टानुसार होंगी।

11. पुनरीक्षित वेतन संरचना में आगामी वेतन वृद्धि की तारीख.- (1) वार्षिक वेतन वृद्धि की एकरूप तारीख अर्थात् प्रत्येक वर्ष की 1 जुलाई होगी। प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को वेतन मैट्रिक्स के किसी स्तर में 6 माह और उससे अधिक का समय पूर्ण करने वाले कर्मचारी वार्षिक वेतन वृद्धि मंजूर किए जाने के पात्र होंगे। इन नियमों के अधीन वेतन के नियतन के पश्चात् कर्मचारी के विकल्प के अनुसार प्रथम वेतन वृद्धि, इन नियमों के अधीन विद्यमान चालू वेतन बैण्ड और वेतन मैट्रिक्स में किसी स्तर में की गयी सेवावधि की संगणना करके 6 माह पूर्ण होने पर मंजूर की जायेगी।

(2) प्रत्येक नवभर्ती को परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर 1 जुलाई जो परिवीक्षाकाल पूर्ण होने की तारीख के ठीक पश्चात् होगी, को प्रथम वार्षिक वेतन वृद्धि अनुज्ञात की जायेगी।

12. परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी के लिए नियत पारिश्रमिक की रकम.- कोई परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी परिवीक्षा प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान नियत पारिश्रमिक आहरित करेगा। परिवीक्षा प्रशिक्षण की कालावधि की सफलतापूर्वक समाप्ति पर ही उसे पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन अनुज्ञात किया जायेगा। ये उपबंध विद्यमान परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी के साथ ही नवभर्ती व्यक्तियों पर लागू होंगे। नियत पारिश्रमिक, इन नियमों से संलग्न अनुसूची-III में यथा उपदर्शित होगा।

13. 01.01.2016 को या उसके पश्चात् सफलतापूर्वक परिवीक्षा प्रशिक्षण कालावधि पूर्ण करने वाले परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी का पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन का नियतन.- किसी परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी को परिवीक्षा प्रशिक्षण कालावधि की सफलतापूर्वक समाप्ति पर अनुसूची-II के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में शैक्षणिक स्तर (प्रथम सेल) के न्यूनतम पर, उस पद पर जिस पर वह नियुक्त है, लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन, अनुज्ञात किया जायेगा:

परन्तु यदि कोई सरकारी कर्मचारी जो राज्य सरकार की नियमित सेवा में पहले से है, परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी के रूप में सहायक आचार्य/पुस्तकालयाध्यक्ष/शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है और जिसने परिवीक्षा के दौरान पूर्वत्तर पद का वेतन आहरित करने का विकल्प दिया है, परिवीक्षाकाल की सफलतापूर्वक समाप्ति पर उसका वेतन राजस्थान सेवा नियमों के नियम 26 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार नियत किया जायेगा।

14. 01.01.2016 को या उसके पश्चात् पदोन्नति पर वेतन का नियतन.- पुनरीक्षित वेतन संरचना में एक शैक्षणिक स्तर से दूसरे में पदोन्नति होने पर वेतन का नियतन राजस्थान सेवा नियमों के नियम 26क में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार किया जायेगा।

15. महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और समस्त भत्ते, सुविधाएं आदि, यदि अनुज्ञेय हों, वेतन मैट्रिक्स में शैक्षणिक स्तर में वेतन अर्थात् मूल वेतन पर राज्य सरकार के कर्मचारियों के अनुसार देय होंगे। मकान किराया भत्ता और नगर क्षतिपूर्ति भत्ता 01.10.2017 से देय होगा।

16. सरकारी आवास आदि जैसी सुविधाएं राजस्थान सिविल सेवा(पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के अधीन सरकारी कर्मचारियों के लिए विहित वेतन मैट्रिक्स के तत्समान शैक्षणिक स्तर द्वारा शासित होंगी।

17. वेतन विसंगतियों का निराकरण.- ऐसे मामलों में जहां राजकीय संस्कृत महाविद्यालय का वरिष्ठ अध्यापकों/पुस्तकालयध्यक्षों/शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशकों को 01.01.2016 से पूर्व किसी उच्चतर पद पर पदोन्नत किया गया है, पुनरीक्षित वेतन संरचना में अपने कनिष्ठ, जिसे 01.01.2016 को या उसके पश्चात् उच्चतर पद पर पदोन्नत किया गया है, से कम वेतन आहरित करता है, वहां ऐसे राजकीय संस्कृत महाविद्यालय के वरिष्ठ अध्यापकों/ पुस्तकालयाध्यक्षों/शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशकों का पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन, उस उच्चतर पद में उसके कनिष्ठ के लिए यथा नियत वेतन के समान रकम तक बढ़ाया जायेगा और ऐसी बढ़ोतरी निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन रहते हुए राजकीय संस्कृत महाविद्यालय के कनिष्ठ अध्यापकों/पुस्तकालयाध्यक्षों/शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशकों की पदोन्नति की तारीख से प्रभावी होगी, अर्थात्:-

(क) राजकीय संस्कृत महाविद्यालय के दोनों, कनिष्ठ और वरिष्ठ अध्यापक/ पुस्तकालयाध्यक्ष/ शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक, समान संवर्ग के ही हों और वे पद जिन पर उन्हें पदोन्नत किया गया हो, एक ही संवर्ग में समरूप हों;

(ख) निम्नतर और उच्चतर पदों की विद्यमान वेतन संरचना और पुनरीक्षित वेतन संरचना जिनमें वे वेतन आहरित करने के हकदार हैं, समरूप हों;

(ग) पदोन्नति के समय, राजकीय संस्कृत महाविद्यालय वरि ष्ठ अध्यापक/पुस्तकालयाध्यक्ष/ शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक, कनिष्ठ के समान या उससे अधिक वेतन आहरित कर रहे हों;

(घ) विसंगति प्रत्यक्षत: पुनरीक्षित वेतन संरचना में पदोन्नति पर वेतन-नियतन विनियमित करने वाले राजस्थान सेवा नियम के नियम 26क के उपबंधों के लागू होने के परिणामस्वरूप हो:

परन्तु, यदि राजकीय संस्कृत महाविद्यालय के कनिष्ठ अध्यापक/ पुस्तकालयाध्यक्ष/ शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक, उन्हें मंजूर की गयी किसी अग्रिम वेतन वृद्धि के कारण विद्यमान वेतन संरचना में वरिष्ठ से अधिक वेतन आहरित कर रहे थे तो राजकीय संस्कृत महाविद्यालय के वरिष्ठ अध्यापकों/पुस्तकालयाध्यक्षों/शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशकों के वेतन में बढ़ोतरी के लिए इस नियम के उपबंध का अवलंब नहीं लिया जायेगा।

18. इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधिवार्षिकी की आयु और पूर्ण पेंशन अर्थात् 20 वर्ष की अर्हक सेवा या सरकार द्वारा यथा विहित के पश्चात् औसत वेतन या अंतिम आहरित वेतन, जो भी अधिक हो, के 50% को छोड़कर, पुनरीक्षित वेतन (वि.अ.आ.) इस शर्त के अध्यधीन होगा कि सहायक आचार्य इत्यादि की अर्हता, भर्ती की रीति/विभिन्न पदों पर नियुक्ति, वार्षिक वेतन वृद्धियों की मंजूरी/वरिष्ठ और चयनित वेतनमान के लिए पात्रता की शर्तों के संबंध में सेवा नियमों के उपबंध, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, नई दिल्ली पत्र क्रमांक एफ.1-7/2015-यू.II (1), दिनांक 02.11.2017 समय-समय पर यथा संशोधित और विश्वविद्यालय अनुदान

आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय संबंधी) विनियम, 2018, उनके जारी किये जाने के ठीक बाद में अंतर्विष्ट मार्गदर्शक सिद्धांतों का सर्वथा अनुपालन करते हुए 01.01.2016 से संशोधित किये जायेंगे।

19. नियमों का शिथिलीकरण.- जहां राज्यपाल का यह समाधान हो जाये कि किसी विशिष्ट मामले में इनमें से किसी भी नियम के प्रर्वतन से अनावश्यक कठिनाई होती है वहां वह, आदेश द्वारा, उस नियम की आवश्यकताओं को, ऐसी सीमा तक और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए शिथिल कर सकेगा जिन्हें वह ऐसे मामले से न्यायोचित एवं साम्यपूर्ण रीति से निपटने के लिए आवश्यक माने।

20. संदाय की रीति.-

(i) बकाया का प्रोद्भूत न होना.- इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी सरकारी कर्मचारी को, चाहे वह विद्यमान कर्मचारी हो या 1 जनवरी से 31 दिसम्बर 2016 (दोनों दिन सम्मिलित) के बीच नियुक्त किया गया हो, किसी भी कारण वेतन और उस पर के भत्तों का 31.12.2016 तक की कालावधि का कोई भी बकाया प्रोद्भूत नहीं होगा।

(ii) बकाया का संदाय.- इन नियमों के अधीन 01.01.2017 से 31.07.2018 की कालावधि के लिए बकाया, नियमानुसार आयकर की कटौती के पश्चात् कर्मचारियों के साधारण भविष्य निधि खाते में निक्षिप्त किये जायेंगे। इसी प्रकार, उन कर्मचारियों के लिए जो 01.01.2004 को या उसके पश्चात् नियुक्त किये गये हैं, इस कालावधि के बकाया, नियमानुसार आयकर की कटौती के पश्चात् कर्मचारियों के साधारण भविष्य निधि-2004 खाते में निक्षिप्त किये जायेंगे।

[सं.एफ.9(2)एफडी(रूल्स)/2018]
राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार शर्मा,
विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (बजट)।

विकल्प का प्ररूप
(नियम 7 और 8 देखिए)

*(i) मैं,.....तारीख 01.01.2016 से पुनरीक्षित वेतन संरचना अपनाने हेतु इसके द्वारा चयन करता/करती हूँ।

*(ii)iiiii मैं,.....अपने नीचे उल्लिखित अधिष्ठायी/स्थानापन्न पद के चालू वेतन बैण्ड और शैक्षणिक ग्रेड वेतन में निम्नलिखित तारीख तक बने रहने का इसके द्वारा चयन करता/करती हूँ:-

* मेरी अगली वेतन वृद्धि की तारीख तक जो..... है।
* मेरी उस पश्चात्वर्ती वेतन वृद्धि की तारीख तक जिस दिन मेरा वेतन रू.....हो जाता है।
* उस तारीख तक जिसको मैं विद्यमान पद रिक्त कर दूँ या विद्यमान वेतन संरचना में वेतन आहरित करना रोक दूं/ .....के पद पर मेरी पदोन्नति/उन्नयन की तारीख तक।

.....पद के लिए विद्यमान चालू वेतन बैण्ड..... और शैक्षणिक ग्रेड वेतन.....

2. इसके द्वारा उपयोग किया गया विकल्प अंतिम है और यह किसी पश्चात्वर्ती तारीख को उपान्तरित नहीं किया जायेगा।

वचनबंध

मैं इसके द्वारा वचन देता/देती हूँ कि नियमों में अंतर्विष्ट उपबंधों से प्रतिकूल किसी रीति से नियत किये गये वेतन का संदाय होने की दशा में, जो बाद में ध्यान में आया हो, इस प्रकार किये गये किसी अधिसंदाय का मेरे द्वारा प्रतिदाय सरकार को, या तो मुझे भविष्य में होने वाले संदायों के प्रति समायोजन द्वारा या अन्यथा, कर दिया जायेगा।

दिनांक:- हस्ताक्षर.....

स्थान:- नाम.....

पदनाम.....

कार्यालय जिसमें नियोजित है.....

उपर्युक्त घोषणा प्राप्त हुई

हस्ताक्षर

(कार्यालयाध्यक्ष)

दिनांक:-

स्थान:-

---

* यदि लागू नहीं हो तो काट दिया जाये।

अनुसूची-I

(नियम4(vi),(viii) और 5)

पदों का वेतन मेट्रिक्स में शैक्षणिक स्तर

क्र.सं.	पद का नाम	चालू वेतन बैण्ड	शैक्षणिक ग्रेड वेतन (विद्यमान एजीपी)	पद का शैक्षणिक स्तर	विशेष भत्ता (प्र.मा.)	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7
1	सहायक आचार्य	15600-39100	6000	AL-10	-	पुराना पदनाम-प्राध्यापक, साधारण वेतनमान
2.	सहायक आचार्य (वरिष्ठ	15600-39100	7000	AL-11	-	पुराना पदनाम-

	वेतनमान)					प्राध्यापक, वरिष्ठ वेतनमान
3.	(i)सहायक आचार्य (चयन ग्रेड)	15600-39100	8000	AL-12	-	पुराना पदनाम-प्राध्यापक, चयन वेतनमान
	(ii)सहायक आचार्य (चयन ग्रेड)	37400-67000	9000	AL-13क	-	पुराना पदनाम-प्राध्यापक, चयन वेतनमान उनके लिए जिन्होंने एजीपी 8000/ और AL-12 में सेवा के तीन वर्ष पूर्ण कर लिये हों और जो समय-समय पर प्रवृत्त वि.अ.आ. विनियम में यथा अधिकथित अपेक्षित वि.अ.आ. अर्हता और पात्रता पूर्ण करता हो।
4.	सह-आचार्य	-	-	AL-13क	-	
5.	आचार्य	-	-	AL-14	-	
6.	सहायक निदेशक (विद्यमान)	37400-67000	9000	AL-13क	-	यह मृत संवर्ग होगा।
7.	(i) प्राचार्य, आचार्य महाविद्यालय	37400-67000	10000	AL-14	3000	
	(ii) प्राचार्य, शास्त्री महाविद्यालय	37400-67000	9000	AL-13क	2000	
8.	पुस्तकालयाध्यक्ष (साधारण वेतनमान)	-	-	AL-10	-	
9.	पुस्तकालयाध्यक्ष (वरिष्ठ वेतनमान)	-	-	AL-11	-	
10.	(i) पुस्तकालयाध्यक्ष (चयन वेतनमान)	-	-	AL-12	-	
	(ii) पुस्तकालयाध्यक्ष (चयन ग्रेड)	-	-	AL-13क	-	जिन्होंने AL-12 में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर

						ली है।
11.	शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक (साधारण वेतनमान)	-	-	AL-10	-	
12.	शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक (वरिष्ठ वेतनमान)	-	-	AL-11	-	
13.	(i) शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक (चयन ग्रेड)	-	-	AL-12	-	
	(ii) शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक (चयन ग्रेड)	-	-	AL-13क	-	जिन्होंने AL-12 में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है।

टिप्पणः- यदि प्राचार्य, आचार्य और सह-आचार्य क्रमश: संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक और सहायक निदेशक के रूप में निदेशालय में पदस्थापित किये गये हैं तो वे विशेष भत्ते, यदि पूर्वत्तर पद पर कोई अनुज्ञेय हो, के बिना ही उनके अपने वेतनमान में वेतन आहरित करेंगे।

अनुसूची-II

(नियम 4 (vii))

वेतन मैट्रिक्स

चालू वेतन बैण्ड	पीबी-3 (15600-39100)			पीबी-4 (37400-67000)	
विद्यमान शैक्षणिक ग्रेड वेतन	6000	7000	8000	9000	10000
प्रवेश वेतन	21600	25790	29900	49200	53000
शैक्षणिक वेतन स्तर	₹-10	₹-11	₹-12	₹-13क	₹-14
आईओआर	2.67	2.67	2.67	2.67	2.72
सेल सं.	वेतन मेट्रिक्स (रकम रू. में)				
1	57700	68900	79800	131400	144200
2	59400	71000	82200	135300	148500
3	61200	73100	84700	139400	153000
4	63000	75300	87200	143600	157600
5	64900	77600	89800	147900	162300
6	66800	79900	92500	152300	167200
7	68800	82300	95300	156900	172200
8	70900	84800	98200	161600	177400
9	73000	87300	101100	166400	182700
10	75200	89900	104100	171400	188200
11	77500	92600	107200	176500	193800
12	79800	95400	110400	181800	199600
13	82200	98300	113700	187300	205600
14	84700	101200	117100	192900	211800

15	87200	104200	120600	198700	218200
16	89800	107300	124200	204700	
17	92500	110500	127900	210800	
18	95300	113800	131700	217100	
19	98200	117200	135700		
20	101100	120700	139800		
21	104100	124300	144000		
22	107200	128000	148300		
23	110400	131800	152700		
24	113700	135800	157300		
25	117100	139900	162000		
26	120600	144100	166900		
27	124200	148400	171900		
28	127900	152900	177100		
29	131700	157500	182400		
30	135700	162200	187900		
31	139800	167100	193500		
32	144000	172100	199300		
33	148300	177300	205300		
34	152700	182600	211500		
35	157300	188100			
36	162000	193700			
37	166900	199500			
38	171900	205500			
39	177100				
40	182400				

अनुसूची-III

(नियम 12)

परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी के लिये नियत पारिश्रमिक की रकम

क्र. सं.	**पद का शैक्षणिक स्तर**	01.01.2017 से प्रतिमाह संदेय नियत पारिश्रमिक की रकम (रू.)
1.	AL-10	40000
2.	AL-13क	92000
3.	AL-14	101000

टिप्पणः-

1. परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी उपरोक्त रूप से नियत पारिश्रमिक का ही हकदार होगा और वह विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता या किसी भी अन्य भत्ते (भत्तों), जिस भी नाम से जाना जाये, पाने का हकदार नहीं होगा/होगी। इसी प्रकार, वह तदर्थ बोनस की मंजूरी का पात्र नहीं होगा/होगी।
2. परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी के रूप में कार्यभार ग्रहण के लिए कोई भी यात्रा भत्ता अनुज्ञेय नहीं होगा। ड्यूटी पर यात्रा की दशा में उसे दौरे पर यात्रा भत्ता अनुज्ञात किया जायेगा और स्थानांतरण के मामले में नियत पारिश्रमिक के आधार पर केवल मील भत्ता अनुज्ञेय होगा स्थानांतरण के मामले में यात्रा के लिए अपेक्षित केवल वास्तविक कालावधि को ही ड्यूटी के रूप में माना जायेगा।

3. नियत पारिश्रमिक से राज्य बीमा के पेटे कोई भी कटौती नहीं की जायेगी। साधारण भविष्य निधि की कटौती राज्य नियमों के अनुसार विनिश्चित की जा सकेगी।
4. परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी एक कलैण्डर वर्ष में 15 दिवस के आकस्मिक अवकाश के लिए पात्र होगा और एक कलैण्डर वर्ष से कम की कालावधि के लिए ये पूर्ण मासों के आधार पर आनुपातिक रूप में अनुज्ञेय होगी।
5. किसी परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी को कोई भी प्रतिनियुक्ति भत्ता अनुज्ञेय नहीं होगा यदि प्रशिक्षण इत्यादि के लिए "अन्यत्र सेवा" में प्रतिनियुक्त किया गया हो।
6. नियमित सेवा में पहले से विद्यमान कर्मचारी को या तो "नियत पारिश्रमिक" या वेतन मैट्रिक्स में शैक्षणिक स्तर (उसकी नयी नियुक्ति का शैक्षणिक स्तर नहीं) में वेतन जो भी उसके लिए फायदेमंद हो जब वह परिवीक्षाधीन हो, के लिए विकल्प देने का विकल्प होगा। परिवीक्षा कालावधि के सफलतापूर्वक पूर्ण होने के पश्चात् नियमों के अनुसार वेतन नियत किया जायेगा, जहां ऐसा किसी सरकारी कर्मचारी को पूर्व में किसी नियमित शैक्षणिक स्तर में होने के कारण सम्यक् लाभ होगा, और उसे अपने वेतन का सम्यक् संरक्षण प्राप्त होगा।
7. (i) परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी परिवीक्षाकाल के दौरान कोई भी छुट्टी अर्जित नहीं करेगा।
   (ii) महिला परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी को राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 103 और 104 के अनुसार मातृत्व छुट्टी मंजूर की जायेगी।
   (iii) पुरुष परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी को राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 103क के अनुसार पितृत्व छुट्टी मंजूर की जायेगी।
8. राज्य सरकार के नियम/आदेशों के उपबंधों के अनुसार असाधारण छुट्टी स्वीकृत की जायेगी।
9. परिवीक्षाकाल के दौरान परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी के लिए चिकित्सा सुविधा/मेडिक्लेम बीमा कवरेज उसी प्रकार लागू होगा जैसा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू होता है।
10. परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी और कर्मचारी दोनों के द्वारा नियत पारिश्रमिक के 10% की दर से नयी पेंशन स्कीम के प्रति अभिदाय किया जायेगा।

FINANCE DEPARTMENT
(RULES DIVISION)
NOTIFICATION
Jaipur, December 07, 2021

Subject: - Revision of Pay Scales of Teachers including Librarians and PTIs of Government Sanskrit Colleges.

S.O. .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor is pleased to make the following rules, prescribing revised pay (U.G.C.) for Government Sanskrit College Teachers including Librarians and Physical Training Instructors and principles governing fixation of pay therein, namely: -

1. Short title and commencement.–

(i) These rules may be called the Rajasthan Civil Services (Revised Pay for Government Sanskrit College Teachers including Librarians & PTIs) Rules, 2021.
(ii) They shall be deemed to have come into force with effect from 1st day of January, 2016.

2. Categories of Government Sanskrit College Teachers including Librarians and PTIs to whom the rules apply to.– These rules shall apply to Teachers including Librarians and PTIs of Government Sanskrit College.

3. Power of Interpretation.– If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government in the Finance Department whose decision thereon shall be final.

4. Definitions.– In these rules, unless the context otherwise requires,-

(i) **"Existing basic pay"** means pay drawn in the prescribed existing Running Pay Band and Academic Grade Pay, but does not include any other type of pay like Special Pay, etc.

(ii) **"Existing Running Pay Band and Academic Grade Pay"** in relation to Government servant means the Running Pay Band and the Academic Grade Pay applicable to the post held by him immediately before 01.01.2016.

(iii) **"Existing Government Sanskrit College Teacher"** means a Teacher including Librarian and PTI who is in service on 1st January 2016 and drawing pay in Running Pay Band and the Academic Grade Pay.

Explanation - Government Sanskrit College Teachers including Librarians and PTIs appointed on or after 01.01.2016 in the Running Pay Band and Academic Grade Pay under the Rajasthan Civil Services (Revised Pay Scales for Government Sanskrit College Teachers including Librarians and PTIs) Rules, 2012 are not existing Government Sanskrit College Teachers. They will draw pay in the Academic Level of the Pay Matrix of the post applicable under the Rajasthan Civil Services (Revised Pay for Government Sanskrit College Teachers including Librarians and PTIs) Rules, 2021, as a result of retrospective operation of these rules. The pay of such Government Sanskrit College teachers including Librarians and PTIs in respect of posts held by them on 01.01.2016 or on the date of appointment subsequent to 01.01.2016, whichever is later, shall be fixed at the minimum (first cell) in the Academic Level of the Pay Matrix of the post appended to these rules only after successful completion of the probation period as per provisions of relevant service rules.

(iv) **"Existing pay structure"** in relation to a Government Sanskrit College Teachers including Librarians and PTIs means the present system of Running Pay Band and Academic Grade Pay applicable to the post held by the existing Government Sanskrit College Teachers including Librarians and PTIs as on the date immediately before the coming into force of these rules whether in a substantive or officiating capacity.

Explanation.- In the case of a Government Sanskrit College Teachers including Librarians and PTIs on deputation out of India or on leave or on foreign service or one who would have officiated in one or more lower posts but for his officiating in a higher post, existing 'Running Pay Band and Academic Grade Pay' includes the scales applicable to the post which he would have held but for

his being on deputation out of India or on leave or on foreign service or officiating in higher post.

(v) **"Existing emoluments"** mean the sum of (i) existing basic pay and (ii) existing dearness allowance at index average as on 1st day of January, 2016 i.e. @ 125%.

(vi) **"Academic Level"** in the Pay Matrix shall mean the Academic Level corresponding to the existing Running Pay Band and Academic Grade Pay as indicated in Schedule-I.

(vii) **"Pay Matrix"** means Matrix specified in Schedule-II, with Academic Levels of pay arranged in vertical cells as assigned to corresponding existing Running Pay Band and Academic Grade Pay;

(viii) **"Revised Pay Structure"** in relation to a post means the Pay Matrix and the Academic Levels specified therein corresponding to the existing Running Pay Band and Academic Grade Pay as indicated in schedule-I

(ix) **"Basic pay"** in the revised pay structure means the pay drawn in the prescribed Academic Level in the Pay Matrix but does not include any other type of pay like Special Pay, etc.;

(x) **"Revised Emoluments"** means the pay in the Academic Level of the Pay Matrix of a Government Sanskrit College Teachers including Librarian and PTI in the revised pay structure;

(xi) **"Schedule"** means Schedules appended to these rules.

(xii) **"Regular Service"** means and includes service rendered by a Government Sanskrit College Teacher including Librarian and PTl on his appointment after regular selection in accordance with the provisions contained in the relevant recruitment rules for that post. The period of service rendered on ad-hoc basis / urgent temporary basis shall not be counted as the regular service. In other words, the period of service which is countable for seniority shall only be counted as regular service.

(xiii) **"Special Allowance"** means the Special Allowance which shall be drawn with the Academic Level of the Pay Matrix as indicated in Col. 6 of Schedule-I.

5. **Academic Level of Posts.**–As from commencement of these rules the Academic Level of the Pay Matrix for every posts shall be as indicated in Col 5 of Schedule-I.

6. **Drawal of pay in the revised pay structure.–** Save as otherwise provided in these rules, a Government Sanskrit College Teacher including Librarian and PTI shall draw pay in the Academic Level of the Pay Matrix applicable to the post which he is holding as on 01.01.2016 or to which he is appointed on or after 01.01.2016.

7. **Option to elect the existing pay structure.-** The Academic Level of post in the Pay Matrix given in the Schedule- I shall apply to every existing Government Sanskrit College Teacher including Librarian and PTI provided that a Government Sanskrit

College Teacher including Librarian and PTI may elect to continue to draw pay in the existing pay structure until the date on which he earns his next or any subsequent increment in the existing pay structure or until he vacates his post or ceases to draw pay in that time scale of pay.

Provided further that in cases where a Government servant has been placed in a higher academic grade pay between 1st January, 2016 and the date of notification of these rules on account of promotion or upgradation or CAS, the Government servant may elect to switch over to the revised pay structure from the date of such promotion or upgradation or CAS, as the case may be.

Explanation - The aforesaid option shall not be admissible to any person appointed to a post on or after the 1st day of January, 2016, whether for the first time in Government service or by transfer from another post and he shall be allowed pay only in the Academic Level of the Pay Matrix.

8. **Exercise of option.-**

(1) The Option under Rule 7 shall be exercised in writing in the form appended to these rules, so as to reach the authority mentioned in sub-rule (2) of this rule within three months from the date of publication of these rules, provided that where a Government Sanskrit College Teacher / Librarian / PTI is under suspension or on leave or on training or on foreign service within India on the date of issue of these rules, the option may be exercised within three months from the date he takes over charge of the post.

(2) The option shall be intimated by a Government Sanskrit College Teacher including Librarian and PTI in the prescribed form appended to these rules in the following manner:

(A) if he is a Assistant Professor/ Associate Professor / Professor to the Principal of the concerned college;

(B) if he is a Principal or an officer belonging to Rajasthan Sanskrit Education Service (Collegiate Branch) but working as Director/ Joint Director etc. of Sanskrit Education to the Accounts Officer of the Directorate of Sanskrit Education;

(C) if he is a retired Government Sanskrit College Teacher / Librarian / PTI on the date of issue of these rules, but was a Government Sanskrit College Teacher / Librarian / PTI on 01.01.2016 to the Principal of the Government Sanskrit College wherefrom he retired or to the Accounts Officer of the Directorate of Sanskrit Education, as the case may be.

(3)(i) In case the intimation regarding option is not received within the time specified in sub-rule (1), the Government Sanskrit College Teacher including Librarian and PTI shall be deemed to have elected to draw pay under these rules with effect from 01.01.2016.

(ii) Where a Government Sanskrit College Teacher / Librarian/ PTI expires before exercising option within the prescribed period or had expired before issue of these rules, he may be deemed to have exercised option in favour of the existing pay structure or revised pay structure under these rules, whichever is advantageous to him, and his pay shall be fixed accordingly.

(4) The option once exercised shall be final.

9. Fixation of initial pay of existing Government Sanskrit College Teachers/Librarians/ PTIs in Academic Level in the Pay Matrix.- The pay of a Government Sanskrit College Teachers / Librarians / PTIs who elects, or is deemed to have elected under rule 8 to be governed by the revised pay structure on and from the 1st January, 2016, shall, unless in any case the Governor by special order otherwise directs, be fixed separately in respect of his substantive pay in the permanent post on which he holds a lien or would have held a lien if such lien had not been suspended, and in respect of his pay in the officiating post held by him, in the following manner, namely:-

(i) the pay in the applicable Academic Level in the Pay Matrix shall be the pay obtained by multiplying the existing basic pay by a factor of 2.57, rounded off to the nearest rupee and the figure so arrived at will be located in that Academic Level in the Pay Matrix and if such an identical figure corresponds to any Cell in the applicable Academic Level of the Pay Matrix, the same shall be the pay, and if no such cell is available in the applicable Academic Level, the pay shall be fixed at the immediate next higher Cell in that applicable Academic Level of the Pay Matrix.

(ii) if the minimum pay or the first Cell in the applicable Academic Level is more than the amount arrived at as per sub-clause (i) above, the pay shall be fixed at minimum pay or the first cell of that applicable Academic Level.

10. Increments in the Pay Matrix.- The increment shall be as specified in the vertical Cells of the applicable Academic Level in the Pay Matrix.

11. Date of next increment in revised pay structure.-

(1) There will be a uniform date of annual increment viz. 1st July of every year. Employees completing 6 months and above in any level of the Pay Matrix as on 1st July every year will be eligible for grant of annual increment. The first increment after fixation of pay under these rules as per option of the employee

will be granted on completing 6 months by counting the period of service rendered in the existing Running Pay Band and in a level of the Pay Matrix in these rules.

(2) Every new recruit on completion of probation period successfully shall be allowed first annual increment on 1st July, which immediately follows the date of completion of probation period.

12. Amount of fixed remuneration for a Probationer-trainee.- A Probationer-trainee shall draw fixed remuneration during the period of probation training. Only on successful completion of period of probation training, he will be allowed pay in the revised pay structure. These provisions will be applicable to the existing Probationer-trainees as well as new recruits. The fixed remuneration shall be as indicated in Schedule - III appended to these rules.

13. **Fixation of pay in the revised pay structure of a Probationer-trainee completing probation training period successfully on or after 01.01.2016.-** A Probationer-trainee on successful completion of probation training period will be allowed pay in the revised pay structure as per Schedule - II applicable to the post to which he is appointed at minimum of Academic Level (first Cell) in the Pay Matrix.

Provided that a Government servant who is already in regular service of the State Government, if appointed on the post of Assistant Professor / Librarian / PTI as a Probationer-trainee and has opted to draw pay of the previous post during probation, on successful completion of probation period his pay will be fixed in accordance with the provisions contained in Rule 26 of the Rajasthan Service Rules.

14. Fixation of pay on promotion on or after 01.01.2016.—The fixation of pay on promotion from one Academic Level to another in the revised pay structure shall be made in accordance with the provisions contained in Rule 26A of the Rajasthan Service Rules.

15. Dearness Allowance, House Rent Allowance and all allowances, facilities etc. if admissible shall be payable as per State Government Employees on the pay in the Academic Level in the Pay Matrix i.e. on basic pay. House Rent Allowance and City Compensatory Allowance shall be payable w.e.f. 01.10.2017.

16. Facilities like Government housing, etc., will be governed by the Academic Level corresponding to Pay Matrix prescribed for Government servants under Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2017.

17. Removal of Pay Anomalies.- In cases where a senior Government Sanskrit College Teachers / Librarians / PTIs promoted to a higher post before 01.01.2016 draws less pay in the revised pay structure than his junior who is promoted to the higher post on or after 01.01.2016, the pay of senior Government Sanskrit College Teachers / Librarians / PTIs in the revised pay structure shall be stepped up to an amount equal to the pay as fixed for his junior in that higher post and such stepping up shall be done with effect from the date of promotion of the junior Government Sanskrit College Teachers / Librarians / PTIs subject to the fulfilment of the following conditions, namely:-

(a) Both the junior and the senior Government Sanskrit College Teachers / Librarians / PTIs belong to the same cadre and the posts in which they have been promoted are identical in the same cadre;

(b) The existing pay structure and the revised pay structure of the lower and higher posts in which they are entitled to draw pay are identical;

(c) The senior Government Sanskrit College Teachers / Librarians / PTIs at the time of promotion are drawing equal or more pay than the junior;

(d) The anomaly is directly as a result of the application of the provisions of Rule 26A of Rajasthan Service Rules of regulating pay fixation on promotion in the revised pay structure:

Provided that if the junior Government Sanskrit College Teachers / Librarians/ PTIs was drawing more pay in the existing pay structure than the senior by virtue of any

advance increments granted to him, the provisions of this rule shall not be invoked to step up the pay of the senior Government College Teachers / Librarians / PTIs.

18. Notwithstanding anything contained in these rules, the Revised Pay (UGC) shall be subject to the condition that the provisions of the Service Rules in regard to qualification, mode of recruitment / appointment to different posts, grant of annual increments / conditions of eligibility for senior and selection scales of Assistant Professor etc. shall be amended with effect from 01.01.2016 strictly in conformity with the guidelines contained in Government of India, Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education, New Delhi letter No. F. 1-7/2015-U.ll(1) dated 02.11.2017 as amended from time to time and University Grants Commission Regulations (Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic Staff in Universities and Colleges and Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education) 2018 immediately after their issuance except age of superannuation and full pension i.e. 50% of average pay or last pay drawn, whichever is higher after 20 years of qualifying service or as prescribed by the Government.

19. **Relaxation of Rules.-** Where the Governor is satisfied that the operation of any of these rules causes undue hardship in any particular case, he may, by order, relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as he may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

20. **Mode of Payment.-**

(i) **Non Accrual of Arrears** : Notwithstanding anything contained in these rules, no arrears of pay and allowances thereon, on any account shall accrue to a Government servant, whether existing or appointed between 1st January to 31 December 2016 (both days inclusive), for the period upto 31-12-2016.

(ii) **Payment of Arrears** : The arrears under these rules for the period from 01.01.2017 to 31.07.2018 shall be deposited in GPF account of the employees after deduction of Income Tax as per rules. Similarly, for the employees who are appointed on or after 01.01.2004 the arrears for this period shall be deposited in GPF-2004 account of the employees after deduction of Income Tax as per rules.

[No.F.9(2)FD(Rules)/2018]
By order of the Governor,
Sudhir Kumar Sharma,
Special Secretary to the Government,
Finance (Budget).

FORM OF OPTION

(See Rule 7 & 8)

*(i) I…….hereby elect the revised pay structure with effect from 01.01.2016.

*(ii) I……..hereby elect to continue on Running Pay Band and Academic Grade Pay of my substantive/officiating post mentioned below until:-

* the date of my next increment falling on……..
* the date of my subsequent increment raising my pay to Rs…….
* I vacate or cease to draw pay in the existing pay structure/the date of my promotion/upgradation to the post of …….

Existing Running Pay Band …….. and Academic Grade Pay…….for the post……

2. The option hereby exercised is final and will not be modified at any subsequent date.

Undertaking

I hereby undertake that in the event of my pay having been fixed in a manner contrary to the provisions contained in the rules, as detected subsequently, any excess payment so made shall be refunded by me to the Government either by adjustment against future payments due to me or otherwise.

Date:- Signature….

…….

Place:- Name

…….

Designation …….

Office in which employed ……

Received the above declaration

Date:-

Place:- Signature

(Head of the Office)

---

*__To be scored out, if not applicable.__

Schedule-I
(Rule 4(vi), (viii) and 5)
Academic Level of the posts in Pay Matrix

Sr. No.	Name of the Post	Running Pay Band	Academic Grade Pay (Existing AGP)	Academic Level of the Post	Special Allowance (p.m.)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
1	Assistant Professor	15600-39100	6000	AL-10	-	Old Designation Lecturer ordinary scale
2	Assistant Professor (Senior Scale)	15600-39100	7000	AL-11	-	Old Designation Lecturer Senior scale
3	(i) Assistant Professor (Selection Grade)	15600-39100	8000	AL-12	-	Old Designation Lecturer Selection scale
	(ii) Assistant Professor (Selection Grade)	37400-67000	9000	AL-13A	-	Old Designation Lecturer Selection scale. For those who have completed three years of service in AGP 8000 / and AL-12 and fulfil requisite UGC qualification and eligibility as laid down in UGC Regulation in force from time to time.
4	Associate Professor	-	-	AL-13A	-	
5	Professor	-	-	AL-14	-	
6	Assistant Director (Existing)	37400-67000	9000	AL-13A	-	It will be dying cadre.
7	(i) Principal, Acharya College	37400-67000	10000	AL-14	3000	
	(ii) Principal, Shastri College	37400-67000	9000	AL-13A	2000	
8	Librarian (Ordinary Scale)	-	-	AL-10	-	
9	Librarian (Senior Scale)	-	-	AL-11	-	
10	(i) Librarian (Selection Grade)	-	-	AL-12	-	
	(ii) Librarian (Selection Grade)	-	-	AL-13A		Who have completed three years service in AL-12
11	Physical Training Instructor (Ordinary Scale)	-	-	AL-10	-	
12	Physical Training Instructor (Senior Scale)	-	-	AL-11	-	
13	(i) Physical Training Instructor	-	-	AL-12	-	

	(Selection Grade)					
	(ii) Physical Training Instructor (Selection Grade)	-	-	AL-13A	-	Who have completed three years service in AL-12

Note: If Principal, Professor and Associate Professor are posted in Directorate as Joint Director, Deputy Director, and Assistant Director respectively, they will draw pay intheir own pay scale without special allowance, if any admissible on the previous post.

Schedule-II
(Rule 4(vii))
Pay Matrix

Running Pay Band	**PB-3 (15600-39100)**			**PB-4 (37400-67000)**	
Existing Academic Grade Pay	**6000**	**7000**	**8000**	**9000**	**10000**
Entry Pay	**21600**	**25790**	**29900**	**49200**	**53000**
Academic Pay Levels →	**AL-10**	**AL-11**	**AL-12**	**AL-13A**	**AL-14**
IOR	**2.67**	**2.67**	**2.67**	**2.67**	**2.72**
Cell No.↓	**Pay Matrix (Amount In Rs.)**				
1	57700	68900	79800	131400	144200
2	59400	71000	82200	135300	148500
3	61200	73100	84700	139400	153000
4	63000	75300	87200	143600	157600
5	64900	77600	89800	147900	162300
6	66800	79900	92500	152300	167200
7	68800	82300	95300	156900	172200
8	70900	84800	98200	161600	177400
9	73000	87300	101100	166400	182700
10	75200	89900	104100	171400	188200
11	77500	92600	107200	176500	193800
12	79800	95400	110400	181800	199600
13	82200	98300	113700	187300	205600
14	84700	101200	117100	192900	211800
15	87200	104200	120600	198700	218200
16	89800	107300	124200	204700	
17	92500	110500	127900	210800	
18	95300	113800	131700	217100	
19	98200	117200	135700		
20	101100	120700	139800		
21	104100	124300	144000		
22	107200	128000	148300		
23	110400	131800	152700		
24	113700	135800	157300		

25	117100	139900	162000		
26	120600	144100	166900		
27	124200	148400	171900		
28	127900	152900	177100		
29	131700	157500	182400		
30	135700	162200	187900		
31	139800	167100	193500		
32	144000	172100	199300		
33	148300	177300	205300		
34	152700	182600	211500		
35	157300	188100			
36	162000	193700			
37	166900	199500			
38	171900	205500			
39	177100				
40	182400				

Schedule-III

(Rule 12)

Amount of Fixed Remuneration for Probationer-Trainee

Sr. No.	Academic Level of the Post	Amount of Fixed Remuneration per Month (Rs.) payable w.e.f. 01.01.2017
1	AL-10	40000
2	AL-13A	92000
3.	AL-14	101000

Note:-

1. The Probationer-trainee shall be entitled only to fixed remuneration as above and he/she will not be entitled to Special Pay, Dearness Allowance, House Rent Allowance, City Compensatory Allowance or any other allowance(s) called by whatever name. Similarly, he/she will not be eligible for grant of Ad-hoc Bonus.
2. No Travelling Allowance shall be admissible for joining as a probationer-trainee. In case journey on duty, he/she shall be allowed T.A. as on tour and in case of transfer only Mileage Allowance on the basis of fixed remuneration shall be admissible. In case of transfer only the actual period required for travel will be treated as on duty.
3. No deduction towards State Insurance shall be made from the fixed remuneration. GPF deduction may be decided as per State rules.

4. Probationer-trainee shall be eligible for Casual Leave of 15 days in a calendar year and for period of less than a calendar year, it shall be admissible in proportion on the basis of completed months.
5. No Deputation Allowance shall be admissible to a Probationer-trainee, if, deputed to 'Foreign Service' for training etc.
6. An existing employee already in regular service shall have an option to opt either for the 'Fixed remuneration' or the Pay in the Academic Level in the Pay Matrix (not the Academic Level of his/her new appointment), whichever is beneficial to him/her while he/she is under probation. After successful completion of probation period, Pay shall be fixed as per the rules, where such a Government servant will get due advantage of being in a regular Academic Level earlier, and will get due protection of his/her pay.
7. (i) Probationer-trainee shall earn no leave during the period of probation.
   (ii) Female Probationer-trainee shall be granted Maternity Leave as per Rule 103 and 104 of Rajasthan Service Rules, 1951
   (iii) Male Probationer- trainee shall be granted Paternity Leave as per Rule 103A of Rajasthan Service Rules, 1951
8. Extraordinary Leave may be sanctioned as per provisions of Rule / Orders of the State Government.
9. Medical facilities / Mediclaim Insurance coverage for the Probationer-trainee during the period of probation shall be applicable, as applicable to Government servants.
10. Contribution towards New Pension Scheme (NPS) @10% of fixed remuneration shall be made by the Probationer-trainee and employee both.

Government Central Press, Jaipur.